# वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
# (1988 में किये गये संशोधनों सहित)

वनों के संरक्षण तथा उससे सम्बन्धित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम :

भारत गणराज्य के इकत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 है।
   (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
   (3) यह 25 अक्टूबर, 1980 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

**वनों के अपारक्षण या वन भूमि के वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्धन**

2. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :—
   (1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में "आरक्षित वन" पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा :
   (2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए :
   (3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए
   (4) किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग से, पुनर्वनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जाए

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए "वनेत्तर प्रयोजन" से :—
   (क) चाय, काफी, मसाले, रबड़, पाम, तेल, वाले पौधे या अन्य उद्यान कृषि

फसलों या औषधीय पौधों की खेती के लिए : और

(ख) पुनर्वरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, किसी वन भूमि या उसके प्रभाग का तोड़ना या काट कर साफ करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वनों और वन्य-प्राणियों के सरक्षण विकास और प्रबन्ध से सम्बन्धित या उसका आनुषंगिक कोई कार्य, अर्थात चौकियों, अग्नि लाइनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाड़, पुल और पुलियों, बांधों, जल छिद्रों खाई चिन्हों, सीमा चिन्हों, पाइप लाइनों का निर्माण या अन्य वैसे ही प्रयोजन नहीं है।"

**सलाहकार समिति का गठन**

3. केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित के बारे में उस सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन कर सकेगी जो इतने व्यक्तियों में मिलकर बनेगी जितने वह ठीक समझे :–

(i) धारा 2 के अधीन अनुमोदन का प्रदान किया जाना : और

(ii) वनों के संरक्षण से सम्बन्धित कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जाय।

**अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति**

"3क- जो कोई धारा 2 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि पन्द्रह दिन तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा।

**प्राधिकरणों और सरकारी विभाग द्वारा अपराध**

"3ख- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध—

(क) सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है वहां विभागाध्यक्ष; या

(ख) किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस प्राधिकरण के कारोबार के संचालन के लिए उस प्राधिकरण का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह प्राधिकरण भी,

ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा :—

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उस विभागाध्यक्ष को या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था उस अपराध के निवारण

के लिए उसने सब सम्यक तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न, किसी अधिकारी की या प्राधिकरण की दशा में, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति की, सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसा अधिकारी या व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।"

**नियम बनाने की शक्ति**

4. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह वह अवधि एक सत्र अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**निरसन और व्यावृत्ति**

5. (1) वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है: 1980 का 17

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के उपबंधों के अधीन की कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

# वन (संरक्षण) नियमावली, 1981
# (मई, 1992 तक यथा संशोधित)

सा.का.नि. 719 :— केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) नियम, 1981 है।
   (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाए सम्पूर्ण भारत पर है
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से

2. परिभाषा :– इन नियमों का जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
   (क) "अधिनियम" से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (संरक्षण) 1980 का 69 (अभिप्रेत है)।
   (ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।
   (ग) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है।
   (घ) "सदस्य" से समिति की कोई सदस्य अभिप्रेत है।
   (ङ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

2. क-समिति का गठन : समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रायल | अध्यक्ष |
| (ii) | अपर वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय | सदस्य |
| (iii) | संयुक्त आयुक्त (भूमि संरक्षण), कृषि मंत्रालय | सदस्य |
| (iv) | तीन विख्यती पर्यावरण विज्ञानी (गैर सरकारी) | सदस्य |
| (v) | वन उप महानिरीक्षक (वन संरक्षण) पर्यावरण और वन मंत्रालय | सदस्य-सचिव |

(2) वन महानिरीक्षक की अनुपस्थिति में अपर वन महानिरीक्षक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

2. ख- गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन इस प्रकार होंगे :—
   (i) गैर सरकारी सदस्य दो वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
   (ii) गैर सरकारी सदस्य का पद धारण उस समय समाप्त हो जायेगा जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वह त्याग-पत्र दे देता है, विकृतचित हो जाता

है, दीवालिया हो जाता है या जिसे ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अन्तंग्रस्त हो।

(iii) उप नियम (ii) में उल्लिखित किसी भी कारण से होने वाली सदस्यता की रिक्ति दो वर्ष की अवधि के अनवसित भाग के लिए सरकार द्वारा भरी जायेगी।

(iv) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियमों और किए गये आदेशों के अधीन समूह "क" के सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य अधिकतम दर पर संदेह होगा :—

परन्तु किसी ऐसे सदस्य को, जो संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य है, यात्रा और दैनिक भत्ता का संदाय संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 या सम्बद्ध राज्य विधान मंडल के सदस्यों से सम्बन्धित विधि के उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. समिति के कार्यों का संचालन :—

(1) अध्यक्ष जितनी बार भी आवश्यक हो, समिति का अधिवेशन बुलाएगा किन्तु ऐसा अधिवेशन एक मास जो कम से कम एक बार होगा।

(2) समिति का अधिवेशन सामान्यतः नई दिल्ली में होगा किन्तु ऐसे मामले में, जहाँ अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि वन भूमि में किसी ऐसे स्थल या स्थलों का निरीक्षण जिसे जिन्हें ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है जो वन से सम्बन्धित नहीं है। नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव या प्रस्तावों पर विचार करने के सम्बन्ध में आवश्यक या समीचीन है, वह यह निदेश दे सकेगा कि समिति का अधिवेशन दिल्ली से भिन्न किसी ऐसे स्थान पर होगा जहां स्थल या स्थलों का ऐसा निरीक्षण सुविधाजनक रूप से किया जा सके।

(3) अध्यक्ष समिति के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन की जिसमें वह उपस्थित होगा अध्यक्षता करेगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष किसी अधिवेशन से अनुपस्थित है और अधिवेशन को स्थगित करना समीचिन नहीं है तो समिति का ज्येष्ठतम सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(4) ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर, जिसके बारे में समिति से सलाह देने की अपेक्षा की जाती है, समिति अधिवेशन में विचार किया जाएगा परन्तु अति आवश्यक

मामलों में, यदि समिति का अधिवेशन एक मास के भीतर आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो अध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि आवश्यक कागज सदस्यों को किसी नियत तारीख तक उनकी राय जानने के लिए भेज दिये जाएं ।

(5) समिति के अधिवेशन के लिये गणपूर्ति तीन से होगी ।

4. (1) प्रत्येक राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी, जो धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है, अपने प्रस्ताव इन नियमों से संलग्न प्रारूप में केन्द्रीय सरकार को भेजेगा : परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव, जिनमें वन भूमि या उसके किसी भाग में पुनः वनरोपण के लिए उसका प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को साफ करना अन्तर्वलित है, कार्यकरण योजना/प्रबन्ध योजना के रूप में भेजे जाएंगे ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट, प्रत्येक प्रस्ताव निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा, अर्थात् :—

सचिव भारत सरकार
पर्यावरण और वन मंत्रालय
पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव जिनमें, 20 हेक्टेयर तक की वन भूमि अंतर्वलित है और ऐसे प्रस्ताव जिनमें वन भूमि या इसके किसी भाग में पुनः वनरोपण के लिये उसका प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों का साफ करना अर्न्तवलित है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सम्बद्ध प्रादेशिक कार्यालय के मुख्य संरक्षक/वन संरक्षक को भेजे जाएंगे ।

5. केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों पर सलाह देने के लिए समिति

(1) केन्द्रीय सरकार नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव समिति को, उसके बारे में सलाह देने के लिए भेजेगी, यदि अर्न्तवलित वन भूमि का क्षेत्र 20 हेक्टेयर से अधिक हैं। परन्तु ऐसे सभी प्रस्ताव, जिनमें वन भूमि या उसके किसी भाग में पुनः वनरोपण के लिये उसका प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को साफ करना अर्न्तवलित है, समिति को उसकी सलाह के लिए नहीं भेजे जाएंगे।

(2) समिति उपनियम (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपनी सलाह देते समय सभी या निम्नलिखित विषयों में से किसी का सम्यक ध्यान रखेगी, अर्थात् :—

(क) वनेत्तर प्रतोजन के लिये उपयोग में लाए जाने वाले वन भूमि आरक्षित प्राकृतिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारणय, आरक्षित जीव स्थल का भाग है या संकटापन्न या संकस्थ वनस्पति और जन्तु जाति के निवास स्थान या उत्पन्न या कटे हुए जलाशय क्षेत्र का भाग है।

(ख) किसी वन भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजनों के लिए है या ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है जो किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण अपने निवास स्थानों में विस्थापित हो गये हैं ;

(ग) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि उसने सभी अनुकल्पो पर विचार कर लिया है और यह कि इन परिस्थितियों में अन्य कोई अनुकल्प साध्य नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र की आवश्यकता इस प्रयोजन के लिये न्यूनतम है; और

(घ) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी समतुल्य क्षेत्र की भूमि के अर्जन और उसके वनरोपण के लिए अपने खर्च पर अवस्था करने का वचन बद्ध करता है।

(3) समिति सलाह देते सयय किसी विनेत्तर प्रयोजन के लिये किसी वन भूमि के प्रयोग पर किन्हीं ऐसी शर्तों या निबन्धनों का सुझाव दे सकेगी जो उसकी राय पर्यावरणीय प्रतिकूल प्रभाव को कम करते हों।

6. समिति की सलाह पर केन्द्रीय सरकार की कार्रवाई :–

केन्द्रीय सरकार, नियम 5 के अधीन दी गई समिति की सलाह पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे अतिरिक्त जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे सशर्त या शर्तो के बिना प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी।

## "प्रारूप"

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व मन्जूरी लेने का प्रारूप (नियम 4 देखें)

1. परियोजना ब्यौरे :

   1. उन प्रस्ताव तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वनभूमि अपेक्षित है . . . .

   2. अपेक्षित वन क्षेत्र, निकटवर्ती वन की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र तथा

विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी) द्वारा अधिप्राप्ति किया जाना है जो उप वन संरक्षक के रैंक से नीचे न हो) . . . . .

3. परियोजना की कुल लागत . . . . . .

4. परियोजना को वन क्षेत्र में लगाने का औचित्य तथा इसके जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको देते हुये और उनको नामंजूर करने के कारण बताएं ।

5. वित्तिय और सामाजिक लाभ . . . .

6. कुल लाभान्वित आबादी . . . . . . .

7. सृजित रोजगार . . . . . .

2. परियोजना/स्कीम का स्थान

1. राज्य/केन्द्र शाषित प्रदेश ..... .....

2. जिला . . . . . . .

3. वन प्रभाग, वन खंड, कम्पार्टमेंट, आदि . . . .

3. मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा . . . .

4. शामिल वन भूमि का ब्यौरा :—

1. वन की वैधानिक स्थिति (नामत आरक्षित, सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) . . . .

2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पतिजात और प्राणिजात का ब्योरा . . . .

3. वनस्पति की सघनता . . . .

4. वृक्षों का प्रजातिवार तथा ब्याज श्रेणीवार सार . . . .

5. भूमि कटाव के लिए क्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का एक हिस्सा है अथवा नहीं . . . .

6. क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृति आरक्षित जीवमंडल रिजर्व, आदि का एक हिस्सा है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन्यजीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणियों को संलग्न करें) . . . .

7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वन भूमि का मदवार ब्यौरा . . . . .

8. क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ / संकटापन्न वनस्पतियों व प्राणिजातों की प्रजातियां . . . .

9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तुओं के लिए एक वासस्थल है या उनके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है . . . .

10. प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व . . . .

5. परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा :-

1. विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या . . . .
2. विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या. . .
3. विस्तृत पुनर्वास योजना . . . .

6. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :—
   1. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए शिनाख्त किए गये गैर-वन क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार . . .
   2. क्षतिपूरक वनरोपण के लिए शिनाख्त गैर-वन/अवक्रमित वन क्षेत्र तथा निकट वर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र . . . .
   3. रोपण की जाने वाली प्रजातियों, कार्यान्वियन एजेंसी, समय सूची लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम . . . .
   4. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय . . . .
   5. वनरोपण के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु शिनाख्त किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएं जो कि उप वन संरक्षक के रैंक के नीचे का अधिकारी न हो) . . .
   6. क्षतिपूरक वनरोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) . . . .

7. पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारेषण लाइन प्रस्तावों के लिए
   1. पारेषण लाइन की कुल लम्बाई . . . .
   2. वन क्षेत्र से होकर गुजरने व साल लाइन की लम्बाई . . . .
   3. मार्ग का अधिकार . . . .
   4. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या . . . .
   5. वन क्षेत्र में किये जाने वाले टावरों की संख्या . . . .
   6. पारेषण टावरों की ऊँचाई . . . .

8. सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाएं (केवल सिंचाई पन विद्युत परियोजनाओं के लिए)
   1. कुल आवाह क्षेत्र . . . .
   2. कुल कमान क्षेत्र . . . .
   3. कुल जलाशयं स्तर . . . .
   4. उच्च बाढ़ स्तर . . . .
   5. न्यूनतम प्राप्ति स्तर . . . .
   6. परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वन भूमि कृषित भूमि, चरागाह भूमि, मानव आबादी तथा अन्य)

7. उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र . . . .

8. पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र . . . .

9. पूर्ण जलाशय स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र . . . .

10. पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र . . . .
(केवल मझौली और बड़ी परियोजनाओं के लिए)

11. न्यूनतम निकास स्तर पर जलमग्न क्षेत्र . . . .

12. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना . . . .

13. कुल वित्तीय परिव्यय और आवाह क्षेत्र
सुधार योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में ब्यौरा . . . .

9. सड़क/रेल लाइनों के बारे में ब्यौरे . . . .
(केवल सड़क रेल लाइनों के प्रस्तावों के लिए)

1. पट्टी की अपेक्षित लम्बाई और चौड़ाई ओर अपेक्षित वन क्षेत्र . . . .

2. सड़क की कुल लम्बाई . . . .

3. पहले बनाई जा चुकी सड़क लम्बाई . . . .

4. वन क्षेत्र में होकर गुजरने वाली सड़क लम्बाई . . . .

10. खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)

1. कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वन क्षेत्र . . . .

2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि . . . .

3. वन क्षेत्र और गैर/वन क्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भंडार

4. खनिज/कच्चे धातु वार्षिक अनुमानित उत्पादन . . . .

5. खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत) . . .

6. चरणबद्ध सुधार योजना . . . .

7. जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जाएगा उसका ढलान . . .

8. पट्टा सलेख की प्रति संलग्न की जाए . (केवल नवीकरण हेतु) .... ....

9. नियुक्त किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या .... .....

10. निम्नलिखित के लिए अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल ..... .....

क) खनन ..... .....

ख) खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण ..... .....

ग) अधिभार को जमा करना ..... .....

घ) औजारों और मशीनों का भण्डारण ..... .....

ङ) भवनों, बिजली घरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण ..... .....

च) शहर/आवास कालोनियां ..... ....

छ) सड़क/रज्जू मार्ग/रिलवे लाइनों का निर्माण .... .....

ज) अपेक्षित वन क्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना ..... ....

11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक में उल्लिखित जिन गतिविधियों के लिए वन भूमि की माँग की गई है, उनको वन क्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किए जाने के कारण है ..... .....
12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या ..........
13. बारहमासी नदियों के मार्गों, राष्ट्रीय और राज्य राज मार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जीवमंडल रिजर्वों से जनन क्षेत्र की दूरी ..... .....
14. पुनः प्रयोग के लिए उपरिमृदा के भण्डारण की प्रक्रिया ..... .....
15. भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव .. ....

11. लागत लाभ विश्लेषण

12. क्या पर्यावरणीय स्वीकृत/अपेक्षित है (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो क्या उसके लिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए गए है (हाँ/नहीं)

13. क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो—

(1) शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे ..... .....

(2) अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी ...

(3) गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्रवाई ...

(4) क्या अभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है ...

14. कोई अन्य सूचना ....

15. संलग्न किए गये प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे

16. निम्नलिखित पहलुओं के बारे में सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार, अर्थात्

(1) इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने कील और अन्य वन उत्पाद;

(2) क्या जिला, इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्मनिर्भर है; और

(3) निम्नलिखित पर प्रस्ताव के प्रभाव—

(क) ग्रामीण आबादी के लिए जलाने की लकड़ी की आपूर्ति

(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका

(4) कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या करने के लिए मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें।

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिए सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिए मांग वन भूमि की न्यूनतम माँग है।"

राज्य सरकार/प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी-1 वनस्पति और प्राणिजात के ब्यौरे भेजते समय प्रजातियों को उनके वैज्ञानिक नामों से वर्णित किया जाना चाहिए।